विचार बिन्दु

जैसे जीने के लिए मृत्यु का अस्वीकरण ज़रूरी है वैसे ही सृजनशील बने रहने के लिए प्रतिष्ठा का अस्वीकरण ज़रूरी है। -डॉ. रघुवंश

पीएम केयर्स फंड - आर.टी.आई. के दायरे से बाहर क्यों?

कोविद-19 की समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund) मार्च 2020 में बनाया गया। इसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में किया गया। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से किसी भी प्रकार की जनस्वास्थ्य आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना और उससे उत्पन्न स्थितियों का मुकाबला करने के लिए फंड की व्यवस्था करना था।

इस फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सदस्य गृहमंत्री एवं रक्षा मंत्री हैं । प्रधानमंत्री ने दो और ट्रस्टी न्यायमूर्ति के टी थॉमस और कारिया मुंडा को नियुक्त किया। ट्रस्टी मंडल ने राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और आनंद शाह को फंड के सलाहकार मंडल में नियुक्त किया।

इस फंड में दिये गये दान की 100 प्रतिशत धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के अंतर्गत आयकर से मुक्त है। इस फंड में दी गई राशि को सी एस आर के अंतर्गत भी मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी कंपनी या सरकारी उपक्रम इस फंड में राशि जमा कराएगा तो वह आयकर से मुक्त होगी। इस फंड के बारे में इसकी वेब साइट पर अंतिम सूचना 31 मार्च, 2023 तक की ही उपलब्ध है। जब इस फंड में तब कुल 6100 करोड़ रुपए शेष थे। इसके बाद की कोई सूचना वेब साइट पर उपलब्ध नहीं है।

यह फंड स्थापना के समय से ही विवादों में घिरा रहा है। विवादों का प्रमुख कारण इसके संचालन में पारदर्शिता और जवाब देही का पूर्णतया अभाव रहा । हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इससे संबंधित प्रश्नों को संसद के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है । अब इस फंड के बारे में कोई भी प्रश्न किसी सांसद द्वारा नहीं पूछा जा सकता है।

इस फंड की स्थापना से ही इसे नियंत्रक और महालेखाकार (सी ए जी) के नियंत्रण से बाहर रखा गया अर्थात अन्य सरकारी विभागों की तरह इसकी ऑडिट कैग द्वारा नहीं की जा सकती। किसी निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अन्य कंपनियों की तरह इसकी ऑडिट होती है। इसका मुख्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय है । हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि पीएम केयर फंड 'पब्लिक अथॉरिटी' की परिभाषा में नहीं आता है, अतः इस पर "सूचना का अधिकार कानून" लागू नहीं होता है। इसके बारे में किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार संसद में बाध्य नहीं है। एक प्रकार से, इस फंड में जमा राशि का उपयोग इसके ट्रस्टी अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं ।

पीएम केयर फंड की स्थापना के बाद इसकी जवाब देही सुनिश्चित करने और इसे आर टी आई कानून के दायरे में लाने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गई थीं जिन्हें खारिज कर दिया गया था। इस फंड में लगभग 3000 करोड़ रुपए पहले ही साल में भारत सरकार के कई उपक्रमों द्वारा जमा करवाए गए। उल्लेखनीय है कि इसमें राशि जमा कराने के लिए आव्हान करते समय प्रधानमंत्री ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों को लिखा था। इस फंड के बारे में वेबसाइट पर जो सूचना उपलब्ध है, उसमें सरकारी राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान स्थिति में इस फंड के प्रबंधन का अधिकार प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित अधिकारियों के पास है। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस फंड में राशि जमा करना बहुत सरल था क्योंकि इसे सी एस आर के लिए मान लिया गया था। जब इस फंड को सारी सुविधाएं और इसका सारा स्वरूप ही सरकारी फंड की तरह है तो इस पर नियंत्रण सी ए जी का होना चाहिए था। इसे संसद और आर टी आई एक्ट से बाहर करना अपारदर्शिता को बढ़ाता है। जनता के पैसे को मनमानी तरह से खर्च करने की छूट देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पीएम केयर फंड की राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई एवं कैसे की गई यह किसी को नहीं पता। इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण इस पर कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकता। इसी से विभिन्न आशंकाएं को जन्म मिलता है और अपारदर्शिता और जवाब देही का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है ।

पीएम केयर्स फंड में जमा राशि किसी की व्यक्तिगत राशि नहीं है अपितु अधिकांशतया सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जमा की गई है। किसी प्रकार का खुलापन न रखना और इस पर किसी प्रकार की बहस से बचना सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है कि वह अपने पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को निर्देश दे कि इस फंड की ऑडिट सीएजी के द्वारा की जाए एवं इसके संबंध में सूचनाएं, सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आम नागरिकों को प्राप्त करने का अधिकार हो ।

जब सरकार की नीयत में किसी प्रकार की खोट नहीं है तो फिर इसके खर्चों की जानकारी सार्वजनिक न करना, विभिन्न प्रकार के संदेह उत्पन्न करता है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष जैसे फंड उपलब्ध थे, तो फिर कोविद-19 की आड़ में एक नया "पीएम केयर्स फंड" बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। इस फंड में कई प्राइवेट कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा भी दान दिया गया किंतु प्रमुख रूप से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दान दिया गया। किसी भी व्यक्ति के लिए इस फंड में राशि जमा कराने से मना करना इसलिए भी संभव नहीं था कि फंड के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं । किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के लिए प्रधानमंत्री की अपील, आदेश के ही समान होती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के बारे में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक है । इन दोनों का ही पूर्णतया अभाव पीएम केयर्स फंड के संचालन में दिखाई देता है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि इस फंड को कैग तथा आर टीआई के दायरे से बाहर रखा जाए । जब इसमें राशि जमा करते समय सरकार द्वारा आग्रह किया जाता है और इसके लेटर हेड पर अशोक स्तंभ का उपयोग होता है तो फिर इसे सरकारी फंड क्यों नहीं माना जाना चाहिए? इसके संचालन के तरीके पर प्रश्न उठते रहे हैं एवं यह भी सुना गया कि इसके माध्यम से बहुत सारे अनावश्यक खर्च किए गए।

किसी भी प्रकार की जानकारी के अभाव में इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहा जाना संभव नहीं है। विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जब भी याचिका दायर की गई तो उन्हें भी न्यायालय द्वारा या तो खारिज कर दिया गया या उन्हें अभी तक लंबित रखा गया है।

सरकार ने गत संसद सत्र में अपनी जवाब देही को टालते हुए न तो इस फंड से संबंधित प्रश्नों को उठाने की अनुमति दी अपितु लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब ज़ेंग्ह फाइल और जनरल नरवाने की किताब के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहा तो उन्हें नियमों का हवाला देते हुए ऐसा करने से रोक दिया गया। जनता को संसद के माध्यम से ही सरकार से विभिन्न प्रश्नों का उत्तर लेने का अवसर मिलता है, यदि इसी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो फिर यह लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध होगा। यदि पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपनी पुस्तक में 2020 में चीन द्वारा की जा रही कुछ गतिविधियों और सरकार के निर्णय के बारे में उल्लेख किया, तो उसे संसद में नहीं रखने देगा एवं उसे पर कोई चर्चा नहीं होने देना अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा होता, इस किताब के अंश पढ़ने की अनुमति राहुल गांधी को मिल जाती तो उस पर सरकार अपना पक्ष स्पष्ट कर देती। इससे आशंकाओं पर विराम लग जाता। अब सरकार, अधिकारियों पर सेवा निवृत्ति के 20 वर्ष बाद तक कोई किताब लिखने पर रोक लगाने की सोच रही है । वास्तव में इस प्रकार का कानून अथवा आदेश सरकार ने जारी कर दिया तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार के विपरीत होगा।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को, विपक्ष एवं समाज के अन्य घटकों द्वारा की गई आलोचनाओं को न केवल सहने के लिए तैयार रहना होगा अपितु उन पर सरकार की स्थिति स्पष्ट भी करनी होगी। इस पर जितनी रोक लगाई जाएगी, उतनी ही आशंकाएं बढ़ेंगी और अंदर ही अंदर असंतोष भी बढ़ता रहेगा।

पीएम केयर्स फंड पारदर्शिता और जवाब देही के अभाव का उदाहरण बन गया है। वर्तमान सरकार तो पहले से ही सूचना के अधिकार कानून के बारे में अधिक उत्साहित नहीं थी और उसे किसी न किसी प्रकार से कमजोर करने के प्रयास में लगी हुई है। सरकार के निर्णय पारदर्शी हों और सार्वजनिक रूप से उनका औचित्य जनता को समझा सकें, वह कहीं बेहतर होगा, बजाय इसके कि लोगों तक सूचना ही न पहुंचने दे ।

पीएम केयर्स फंड में जमा राशि किसी की व्यक्तिगत राशि नहीं है अपितु अधिकांशतया सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जमा की गई है। किसी प्रकार का खुलापन न रखना और इस पर किसी प्रकार की बहस से बचना सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है कि वह अपने पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को निर्देश दे कि इस फंड की ऑडिट सीएजी के द्वारा की जाए एवं इसके संबंध में सूचनाएं, सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत आम नागरिकों को प्राप्त करने का अधिकार हो ।

अपारदर्शी रूप से धन इकट्ठा करने का प्रयास इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार ने किया था किंतु उसे भी अंततः सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक मानते हुए खारिज किया था। इस बारे में भी यही स्थिति उत्पन्न हो,1 उसके पहले ही सरकार को स्वयं अपने स्तर पर आगे बढ़कर इससे संबंधित सारी सूचनाओं जनता के समक्ष सार्वजनिक करनी चाहिए ।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत, पूर्व आई ए एस,
उपाध्यक्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, राजस्थान चैप्टर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विज़न से कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक क्रांति का सूत्रपात

अन्नदाता की समृद्धि से विकसित राजस्थान का संकल्प बजट 2026-27

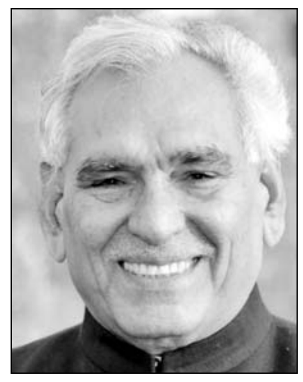

सी आर चौधरी

राजस्थान की मरुधरा पर कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवनरेखा और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता की धुरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेश किया गया वर्ष 2026-27 का बजट इस बात का जीवंत प्रमाण है कि राज्य सरकार अब खेती को केवल निर्वाह के साधन से ऊपर उठाकर आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए कटिबद्ध है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.59 प्रतिशत अधिक है। यह प्रदेश के अन्नदाता के प्रति सरकार की गहरी संवेदनशीलता और दूरगामी विज़न को दर्शाता है।

खेती में निवेश की सबसे बड़ी बाधा पूंजी का अभाव रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर इस बजट में 35 लाख से अधिक किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त अल्पकालीन ऋण का प्रावधान किया गया है। यह राशि छोटे और सीमांत किसानों को उन साहूकारों के चंगुल से बचाएगी जो ऊंची ब्याज दरों से उनकी मेहनत को सोख लेते थे। राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान स्वयं वहन करना यह सुनिश्चित करता है कि किसान समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक खरीद सकें। सहकारी क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान लघु कृषि उद्यिमयों के लिए नए द्वार खोलेगा। प्रति बूंद अधिक फसल और सिंचाई सुदृढ़ीकरण राजस्थान जैसे जल-अभाव वाले राज्य में कृषि की सफलता जल प्रबंधन पर टिकी है।

बजट में सिंचाई अवसंरचना के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्रस्तावित है, जिससे 8,000 डिग्गियाँ, 15,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन और 36,000 फार्म पॉण्ड तैयार किए जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई पर दिया गया यह जोर न केवल प्रति बूंद अधिक फसल के सपने को साकार करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती को सुरक्षित भी बनाएगा। इससे फसल विविधीकरण को बल मिलेगा और किसान उन फसलों की ओर रुख कर सकेंगे जो कम पानी में अधिक मुनाफा देती हैं। आज का युग तकनीक का है, और राजस्थान के किसान अब इसमें पीछे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री ने 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह उन छोटे किसानों के लिए वरदान है जो महंगे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। वे अब इन केंद्रों से सस्ती दरों पर मशीनरी किराये पर लेकर अपनी श्रम लागत घटा सकेंगे।

तकनीक के मोर्चे पर राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम है। एआई, मशीन लर्निंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से किसानों को मौसम के जोखिम, फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बुवाई के सही समय की सटीक जानकारी मिलेगी। यह डिजिटल कृषि मिशन राजस्थान को देश में तकनीक-आधारित खेती का मॉडल बनाएगा। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसल की बर्बादी किसानों की एक बड़ी पीड़ा रही है। इसे समझते हुए सरकार ने 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सामुदायिक तारबंदी की शर्तों में ढील (न्यूनतम किसान 10 से घटाकर 7 करना) सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। वहीं, मृदा स्वास्थ्य के लिए 3,496 ग्राम पंचायतों में वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना जैविक खेती की दिशा में एक बड़ा निवेश है। राजस्थान की डेयरी इकोनॉमी को नई ऊंचाई देने के लिए राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड को दोगुना कर 2,000 करोड़ रुपये किया गया है। सरस को एक राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में आउटलेट्स खोलना प्रदेश के पशुपालकों की आय बढ़ाने का सीधा जरिया बनेगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का अनुदान और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से पशुधन सुरक्षा सुनिश्चित करना ग्रामीण राजस्थान के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के परिणाम बताते हैं कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रयास रंग ला रहे हैं। रबी दलहनों के उत्पादन में 22.34 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि और मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत 99 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि सरकारी नीतियां धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। राजस्थान बजट 2026-27 केवल सब्सिडी देने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह कृषि को एक लाभदायक इंडस्ट्री में बदलने का रोडमैप है। मिशन राज गिफ्ट के माध्यम से विशिष्ट कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग हो या नमो ड्रोन दीदी के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकार हर छोर को मजबूत कर रही है।

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यदि ये योजनाएं अपनी पूर्ण क्षमता से लागू होती हैं, तो राजस्थान विकसित भारत की संकल्पना में विकसित और समृद्ध कृषि प्रदेश के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेगा।

-सी आर चौधरी,
अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग

वयं को घायल करता अहं का दंश

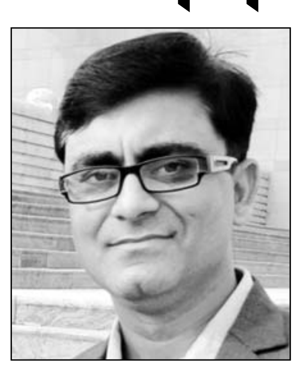

अनुराग शुक्ला

एक वाकया 11 जून 2014 का है। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज थी और ये मनमोहन सरकार की लोकसभा का आखिरी दिन था। सुषमा स्वराज ने भाषण दिया था-मैं बहुत प्यार से कह रही हूं मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदेजी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते हैं और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनियाजी की मध्यस्थता आदरणीय प्रधानमंत्रीजी की सौम्यता आपकी सहनशीलता और आडवानीजी की न्याय प्रियता के कारण यह सदन चल सका।

उन्होंने इसी भाषण में आगे कहा था भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है और वो भाव क्या है वो भाव यह है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं और हम विरोध करते हैं, विचारधारा के आधार पर, हम विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों के आधार पर। अलग-अलग है खिलाफी विचारधारा है अलग-अलग नीतियां बनाती है सरकार, अलग-अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं व आलोचना प्रखर भी होती है लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों में आड़े नहीं आती है। इस भाषण को पक्ष विपक्ष के साथ पूरे देश ने सराहा था।

वहीं इन दिनों राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं पर भटक जाते हैं। अहं पर अटक जाते हैं। उनकी अंगभाषा को देखकर लगता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई और दल सरकार कैसे चला सकता है। उनकी अंग भाषा में सत्ताधारी दल के लिएए पीएम के लिए एक तिरस्कार दिखता है। वो अहं ब्रह्मास्मि की मुद्रा में दिखते हैं।

अहं ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, इस का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। यह वाक्य अहंकार का नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार का प्रतीक है। अहं का अर्थ यहाँ सीमित मैं (इगो) से नहीं, बल्कि उस शुद्ध ज्ञान से है जो ज्ञान की अग्नि में अज्ञान को नष्ट कर देता है।

नेता प्रतिपक्ष की गरिमामयी कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे राहुल गांधी को शायद अहं ब्रह्मास्मि को गलत अर्थों में समझा दिया गया है। 2 फरवरी, 2026 को लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से उद्धरण देने की कोशिश की। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने इसे गलत बताया, अनुमति मांगने की बात की तो राहुल गांधी भड़क गये।

अप्रकाशित दस्तावेज उद्धरण पर बहस करते हैं। ये काम नियम 349 का उल्लंघन माना गया क्योंकि सदन में अप्रकाशित सामग्री उद्धृत नहीं की जा सकती। इस किताब को लेकर बहुत विवाद हुआ। इतना विवाद हुआ कि संसद के कई दिन इसकी भेंट चढ़ गए। मुद्दे नहीं उठे, दिखा तो अंह का प्रदर्शन, बेबाक बेवजह बेधड़क और बेजरूरत। इसके बाद जब सदन शुरु हुआ और नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भाषण दिया तो उनके भाषण के दौरान कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर की ओर कागज फेंके, जिससे हंगामा हुआ और कई सांसद सस्पेंड हो गए।

नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो नेता सदन भी बैठ जाते हैं, उनकी पार्टी के नेता कागज नहीं उड़ाते। पर सयम पर अहं भारी दिखा। ये दृश्य देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम नहीं है, ये राज्य की विधानसभाओं में अकसर देखे जाते हैं। फिर कुछ ऐसे दृश्य भी दिखे, ऐसी घटनाएं हुईं जो कभी नहीं होती हैं। सांसद पीएम की सीट घेरते हैं, पीएम संसद में वक्तव्य नहीं देते, मोशन पास हो जाता है।

नेता प्रतिपक्ष जब 8 फरवरी, 2026 को स्पीकर चैंबर से कमिटमेंट का दावा किया, पूछा लने देंगे या नहीं, एक तरह से चुनौती दी। इसी तरह एक दृश्य जो पहले नहीं दिखा था वो था 10-11 फरवरी, 2026 का एक वीडियो। सरकार ने इसे जारी कर दावा किया कि इस दिन 20-25 कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में जबरन प्रवेश कर अभद्र भाषा का उपयोग किया और अवैध वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। आक्रामक मुद्रा अपनाते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। अपने भाषण में उन्होंने मंत्री हरदीप पुरी पर एपिस्टीन से संबंध का दावा किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर देश बेचने जैसे व्यक्तिगत आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को बेच दिया और यह 1.5 अरब भारतीयों का आत्मसमर्पण है, बिना प्रमाण या पूर्व सूचना के।

दरअसल राहुल गांधी अपने राजनीतिक अवतार को सिद्ध करने के लिए लगातार इंप्रोवाइज करते हैं। कभी अपनी ही सरकार का पारित बिल सदन के बाहर फाड़ देते हैं, कभी रैलियों में सादे कागज को बिल बताकर फाड़ते हैं, कभी ठंड में टीशर्ट पहनकर माचो बनने की कोशिश करते हैं। कभी नरेगा के मजदूर के साथ मिट्टी उठाने लगते हैं। कभी राफेल पर ऐसे आरोप लगाते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, कभी चौकीदार चोर है के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी इन दिनों पीएम मोदी पर व्यक्तिगत आरोप के फार्मूले को अपना रहे हैं। शायद उनके इमेज ब्रांडिंग करने वालों ने इसे मोदी के व्यक्तिगत के सामने खड़े रहने का तरीका बताया है, पर उन्हें इसके लिए जुड़ना होगा, अपने लोगों से, अपनी जनता से, अपना आप से और अपने कार्यकर्ताओं से। राहुल गांधी की कोर टीम के कई बड़े कांग्रेसी नेता उनके अहं को कांग्रेस के वयं से बड़ा बताते रहे हैं।

हर धर्मग्रंथ में अहंकार को गलत बताया गया है। कुरान की सूरह अन नहल में लिखा है अभिमान करने वालों को पसंद नहीं करता यानी जो अपनी दौलत, पद या काबिलियत के कारण दूसरों को नीचा समझता है, वह अल्लाह के नापसंद लोगों में है पर कुर्सी चीज ही ऐसी है। सत्ता के लिए संसद की शुचिता को तार तार करने का क्रम इन दिनों बदस्तूर जारी है।

अनुराग शुक्ला, लेखक व स्वतंत्र पत्रकार।

सम्पूर्ण सृष्टि एक ही परिवार

मदन सिंह काला

ईश्वर मनुष्य की ही एक अवधारणा है। इस अवधारणा के भरोसे ही रह जाने पर, प्रकृति के अन्वेषण की, मनुष्य प्रवृति रुक जाती है। अतः हमें विरासत में मिले शब्द 'श्रद्धा,आस्था और विश्वास' किसी व्यक्ति का धन्धा न बन जाए और इससे मानव जाति की तर्क करने की प्राकृतिक शक्ति समाप्त न हो जाए और परिणामस्वरुप हम डरपोक, कायर व नकारा न बन जाए, इसके प्रति हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि हम सावधान नही रहेंगे तो हमारे ऐसे भाई-बहिन जो इस तरह के कार्यों को अपना व्यवसाय बना लेते हैं तथा वे अज्ञानी एवम् मासूम लोगों को चमत्कार का (अनहोनी) का लालच देकर उनकी मतिभ्रम कर, उन्हे सत्य व मेहनत के मार्ग से भटका देने में मनोवैज्ञानिक महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसी स्थिति पैदा होना बहुत चिन्ताजनक है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न हो इसके लिए हमें सदैव विवेकपूर्ण चिन्तन करते रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए।

हमारे जीवन काल में ही कोरोना वायरस ने यह सिद्घ कर दिया है कि इस धरती के सभी मानव एक 'मानव ईकाई' मात्र हैं। यदि इस धरा का एक भी मानव कोई शैतानी करता है तो उसके दुष्परिणाम सारी मानव जाति को भोगने ही पड़ते हैं। सभी मनुष्य जन्म से तो पवित्र ही पैदा होते हैं। उनकी आयु बढ़ने के साथ उनको जैसा देखने को मिलता है, वे सामान्यतः वैसा ही करते हैं। विश्व को सुखमय बनाने की एक अवधारणा 'वसुधैव कुटुंबकम' जिसका अर्थ है सम्पूर्ण सृष्टि एक ही परिवार है। इस त्रासदी के समाप्त होने के बाद विश्व को सकारात्मक विचारों के लोगों से एक कारगर दिशा मिलने की आशा करनी चाहिए जिससे सभी लोगों का स्वास्थ्य आनन्ददायक हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा हो, सब मनुष्य किसी सेवा करने के हुनर से सुसज्जित हो, सब एक-दूसरे मानव के रूप में सम्मान करे, मानवता हो, प्रकृति माँ का संवर्धन हो।

आज हम देख रहे हैं कि कुछ चतुर मानवों ने ही अपनी ईश्वरीय अवधारणा का लाभ देने के मकसद से बड़े-बड़े धार्मिक स्थल, मासूम लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें मनोरोगी बनाकर, उन्हे विश्वास में लेकर कि उनको ये लाभ होगा, वह लाभ होगा का लालच देकर उनसे धन संग्रहीत कर, उन लोगों ने धार्मिक स्थलों को आजकल बड़े-बड़े व्यापर केंद्रों के रूप में स्थापित कर, चमत्कार के नाम पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इन केन्द्रों में कोई तपस्वी नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है।

कोरोना वायरस से बचाने के लिए, इन केन्द्रों के मालिकों को अपनी शक्ति प्रयोग करना चाहिए था,परंतु ये सब असहाय सिद्ध हो चुके हैं। इनके पास संग्रहित धन आम जन की बचत है, इनके मालिकों को चाहिए कि वे सहर्ष इस अकूत सम्पदा को सरकारों को जनता की सेवा के लिए समर्पित कर, सकारात्मक उदाहरण पेश करने चाहिए।

-मदन सिंह काला,
रिटायर्ड आईएएस

राशिफल मंगलवार 17 फरवरी, 2026

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:16 तक, परिध योग रात्रि 12:19तक, नाग करण सायं 5:31 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 9:06 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज देव पितृकार्य अमावस्या, भौमवती अमावस्या, शिव खप्पर पूजा, मन्वादि है। पंचक प्रातः 9:06 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:53 से 11:17 तक, लाभ-अमृत 11:17 से 2:05 तक, शुभ 3:28 से 4:52 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:06, सूर्यास्त 6:16

मेष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

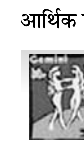

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कर्क
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

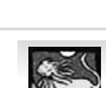

सिंह
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। आज अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

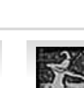

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मकर
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कुंभ
व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।